



# गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांक: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/  
30853-31445

दिनांक: 16 सितम्बर, 2010

महत्वपूर्ण/आवश्यक

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

निदेशक, प्राचार्य,

प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध,

समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाएं ।

विषय- प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किया जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/18511-19100 दिनांक: 29 जुलाई, 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ शासन के पत्र संख्या 2336/सोलह-1-2008-1-200/96 टी0सी0, दिनांक 27 जुलाई, 2010 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत सन्दर्भित शासनादेशों का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत निर्देशों एवं शासन स्तर से प्रदेश की अभियंत्रण संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा रोकने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गए हैं।

इसी सन्दर्भ में शासन ने प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 प्रख्यापित किया गया है, जिसके प्राविधानों के अनुसार रैगिंग की रोकथाम हेतु विभिन्न प्राविधान निर्गत किये गये हैं। उक्त प्राविधानों के अनुरूप संस्थान स्तर पर रैगिंग की रोकथाम हेतु पूर्ण रूप से प्रभावी उपाय सुनिश्चित किया जाना है, जिससे छात्र/छात्राओं में व्याप्त भय समाप्त हो सके तथा उनके मध्य पठन-पाठन का बेहतर माहौल तैयार हो सके।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अपेक्षा की गई है कि उ0प्र0 की अभियंत्रण संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही कराते हुए शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27.07.2010 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार एक विशेष अभियान चलाकर छात्रों को इस विषय में जागरूक भी किया जाए कि रैगिंग एक

सामाजिक बुराई है और इसे समाप्त होना चाहिए। उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि रैगिंग की कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसका पूरा उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान के निदेशक/प्राचार्य का होगा।

इस सम्बन्ध में यह भी सूचित है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के माध्यम से शासन एवं विश्वविद्यालय को ज्ञात हुआ है कि अधिकांश संस्थाओं में संस्थाओं के स्तर पर रैगिंग निषेध नियंत्रण कमेटीज गठित तो की गई है परन्तु ठीक प्रकार से अपना कार्य निर्वहन नहीं कर रही है, जिसके कारण जूनियर छात्र सीनियर छात्रों के दबाव में हैं। जूनियर छात्र दबाव में रहने के कारण अपनी बात कमेटी से भी नहीं कह पा रहे हैं। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है।

अतएव उपर्युक्त की सूचना के साथ रैगिंग की रोकथाम में विषय में आपको पुनः सूचित किया जाता है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उ०प्र० शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संस्था स्तर पर अपेक्षित व्यवस्थायें गठित हों और उनका क्रियान्वयन उचित रूप से सुनिश्चित किया जाए और इस परिप्रेक्ष्य में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। यह भी सूचित किया जाता है कि किसी संस्थान में यदि रैगिंग की कोई अप्रिय घटना प्रकाश में आती है तो पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था एवं संस्था के प्राचार्य / निदेशक का होगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त के विषय में प्राथमिकता पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय



(यू०एस० तोमर)

कुलसचिव

**पृष्ठांकन सं० व दिनांक-उपरोक्त**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उ०प्र०, राजभवन, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. अपर परीक्षा नियंत्रक, गौ०बु०प्रा०वि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डलवाने का कष्ट करें।
4. स्टॉफ आफिसर, मा० कुलपति, गौ०बु०प्रा०वि०, लखनऊ।

(यू०एस० तोमर)

कुलसचिव